(18)

अधिग्रहण वाद सं० 02/14-15

की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा ने अपने पत्रांक 644 / अप0शा0, दिनांक 30.05.2014 से टी0टांगर थाना काण्ड संख्या 104 / 2013 दिनांक 25.12.2013 धारा 414 / 420 / 467 / 468 / 471 / 34 भा0द0वि0 एवं 08 / 20 / 22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत जप्त बोलेरो वाहन सं0 **JH01M-5900** को राजसात करने हेतु प्रस्ताव भेजा हैं। प्रस्ताव के आधार पर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई।

प्राथमिकी अभियुक्त 1. मनोज कुमार सिंह, पिता – राम दयाल सिंह, ग्राम – पाण्डेयडीह बाजार सिजुआ, थाना – तितुलमारी, जिला – धनबाद 2. मीना देवी, पति – चिंतामणी सिंह, ग्राम – तुपकाडीह शिवमंदिर के पास, थाना – जरीडीह, जिला – बोकारो 3.घनश्याम सिंह, पिता – बबन सिंह, ग्राम एवं थाना – विक्रमगंज, जिला रोहतास, बिहार एवं 4. मनोज सिंह, ग्राम – झारसुगड़ा, उड़ीसा न्यायालय में उपस्थित होने एवं कारणपृक्षा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

दिनांक 31.07.2014 को द्वितीय पक्ष मनोज सिंह अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी दाखिल किया किन्तु जवाब दाखिल नहीं किया। अन्य द्वितीय पक्ष नोटिस तामिला के बाद भी न्यायालय में कभी उपस्थित नहीं हुए है। विपक्षी को कई बार नोटिस निर्गत करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया, परन्तु वे सभी कभी भी न्यायालय में उपस्थित नही हुए और ना ही जवाब दाखिल किया गया। मामला कई बर्षों से लंबित चला आ रहा है। इसलिए अन्त में इस वाद में एक पक्षीय निर्णय लिया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा के प्रतिवेदनानुसार टी0टांगर थाना काण्ड संख्या 104 / 2013 दिनांक 25.12.2013 धारा 414 / 420 / 467 / 468 / 471 / 34 भा0द0वि0 एवं 08 / 20 / 22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मनोज सिंह, पिता – राम दयाल सिंह, ग्राम – पाण्डेयडीह बाजार सिजुआ, थाना – तितुलमारी, जिला – धनबाद 2.

मीना देवी, पति – चिंतामणी सिंह, ग्राम – तुपकाडीह शिवमंदिर के पास, थाना – जरीडीह, जिला – बोकारो 3.घनश्याम सिंह, पिता – बबन सिंह, ग्राम एवं थाना – विक्रमगंज, जिला रोहतास, बिहार एवं 4. मनोज सिंह, ग्राम – झारसुगड़ा, उड़ीसा के विरूद्ध सत्य पाया गया है। चुंकि इस काण्ड से संबंधित मामला में अभियुक्तों के विरूद्ध सजा के विन्दु पर सक्षम न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। अतः सक्षम न्यायालय में चल रहा वाद पर फैसला पारित नहीं हो जाता है, तबतक के लिए इस वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा को आदेश दिया जाता है कि सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें।

लेखापित।

15.04.22

उपायुक्त,
सिमडेगा।

15.04.22

उपायुक्त,
सिमडेगा।

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.01.20 13:51:49 +05:30
Location: 192.168.0.115